सूचना/मूटकोर्ट

1. आपराधिक वाद के चरण

- वाद का नाम
- न्यायालय द्वारा लगाये गये आरोप
- अभियोजन द्वारा पे ा साक्ष्य
- बचाव पक्ष द्वारा पे ा साक्ष्य
- अभियोजन द्वारा पे ा किये गये तर्क
- बचाव पक्ष द्वारा पे ा किये गये तर्क
- निर्णय
- आदे ा

2. दीवानी वाद के चरण

- वाद – पत्र
- प्रतिवाद पत्र/लिखित कथन
- विवाद्यक तथ्य
- वादी द्वारा पे ा किये गये साक्ष्य
- प्रतिवादी द्वारा पे ा किये गये साक्ष्य
- निर्णय
- आदे ा

LL.B. VIth Semester

प्र न पत्र – पंचम (**मूट कोर्ट, विचारण के पूर्व तैयारी एंव विचारण कार्यवाहियों में भाग लेना**)

नोट : – सभी प्र न करने अनिवार्य हैं।

01. एक अधिवक्ता उस व्यक्ति से क्या–क्या जरूरी सूचनाएं एकत्रित करेगा जो अधिकरण के समक्ष वाहन दुर्घटना का दावा दाखिल करने आया है?

02. एक व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष डकैती या चोरी या लूट या अपहरण का परिवाद दाखिल करने आया है उससे अधिवक्ता क्या –क्या जरूरी सूचनाएं एकत्रित करेगा?

03. एक दीवानी मामले में वादी और प्रतिवादी की ओर से की जाने वाली पूर्व परीक्षण तैयारियों का वर्णन कीजिए।

04. एक अपराधिक मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष द्वारा क्या –क्या पूर्व परीक्षण तैयारी करनी चाहिए?

05. 3 विधि सभा।

06. मौखिक परीक्षण।

LL.B. VIth Semester

Moot Court, Pre-Trial Preparations & Participation in Trial Proceedings

Paper – V

Note : Attempt all the questions.

Q.1 What relevant information will be collected by an advocate when a person comes to him for the purpose of filing a claim petition of motor accident before a tribunal?

Q.2. What relevant information an advocate will collect from the person who has come to file a complaint of dacoity or Theft or Robbery or Kidnapping before the court?

Q.3. Discuss in brief about the pre-trial preparation of civil case on behalf of both parties i.e. the plaintiff and defendant.

Q.4. What are the pre-trial preparation of prosecution and defence in criminal case?

Q.5. 3 Moot Courts

Q.6. Viva – Voce

प्रोपोजिशन – 1

वादी (रामस्वरूप) उम्र 51 वर्श आत्मज श्री मथुरा प्रसाद निवासी ग्राम रसूल पुर परगना व तहसील बदायूँ जनपद बदायूँ द्वारा प्रतिवादिनी क्रमांक 1 श्रीमती राजवती उम्र 30 वर्श पत्नी नोनीराम निवासिनी ग्राम उपरैला परगना तहसील जनपद बदायूँ के विरूद्व दिनांक 17.05.2004 को सविंदा के वि ाश्ट अनुपालन हेतु वाद दाखिल किया गया। प्रतिवादिनी क्रमांक 1 अपने हिस्से के प्लाट सं0 228 रकबा 0.537 हेक्टयर के 1/2 भाग ग्राम रसूलपुर में स्थित पंजीकृत करार दिनांक 25.09.2002 को वादी के साथ 40000 रू0 का किया था और इस करार के अनुसार प्रतिवादिनी द्वारा विक्रय प्रपत्र का निश्पादन करना था। यहां यह उल्लेख करना आव यक है कि अतिरिक्त मण्डलायुक्त बरेली के न्यायालय में प्रतिवादिनी क्रमांक 1 के विरूद्व निगरानी सं0 374/2002 उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित था (बालकराम बनाम राजवती) जिस का निर्णय 17.05.2003 को हुआ। उसके बाद अन्तर्गत धारा 229 बी उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन व भूमिसुधार अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद सं0 50/2003 बालकराम ने प्रतिवादिनी क्रमांक 1 के विरूद्व, दाखिल किया जो दिनांक 18.03.2004 को खारिज हुआ। बाद में वादी को यह जानकारी मिली कि प्रतिवादिनी क्रमांक 1 ने 46,000 रूपये में उस जमीन का विक्रय 31.07.2003/15.10.2003 को प्रतिवादिनी क्रमांक 2 श्रीमती जानकी देवी उम्र 56 वर्श पत्नी गंगा सहाय निवासिनी ग्राम रसूलपुर परगना तहसील बदायूँ जनपद बदायूँ के पक्ष में कर दिया है।

वादी ने प्रतिवादिनी क्रमांक 1 से बार बार विक्रय पत्र के निश्पादन हेतु निवेदन किया और एक लिखित निवेदन भी 12.01.2004 को किया है।

प्रतिवादिनी क्रमांक 1 ने अपने प्रतिवाद पत्र में दिनांक 15.02.2004 को यह स्वीकार किया है कि उसने वादी के साथ उक्त जमीन के विक्रय का करार किया था किन्तु उसके बार–बार कहने पर भी वादी विक्रय स्वीकार करने को इच्छुक व तैयार नहीं था और वादी का इरादा बिना कोई भुगतान किये जमीन पर कब्जा चाहता है। उसने इस बात से इन्कार किया कि उसके प्रतिवाद पत्र में कहा है कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि प्रतिवादिनी क्रमांक 1 ने वादी के पक्ष में उक्त जमीन के विक्रय का करार किया है तथा प्रतिवादिनी क्रमांक 1 ने उसके पक्ष में 60,000 रूपये में विक्रय का करार किया है। इस मामले में न्यायालय के समक्ष तर्क कीजिए।

प्रोपोजिशन – 2

दिव्या, मोहल्ला – राजनगर निवासी श्री प्यारे मोहन की पुत्री थी। उसका विवाह बदायूँ मोहल्ला – आद र्ा नगर निवासी श्री योगे ा राज के साथ वर्श 2008 में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उसके पिता ने नव दम्पत्ति को उपहार स्परूप लगभग 5 लाख रूपये के सामान प्रदान किये। किन्तु कुछ दिनों बाद उसके ससुराल पक्ष के लोग अपने पिता से एक मारूति कार मांगने को कहने लगे। जब उसने अपने पिता की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं बताया तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और दिन प्रतिदिन उसके साथ क्रूरता का व्यवहार बढ़ने लगा। उसका भाई संजय कई बार उसके मायके विदाई की बात करने को कहा गया। एक बार संजय अपने आद र्ा नगर निवासी मित्र अमर के साथ दिव्या के घर गया तो वही बात दोहराई गयी साथ ही अपमान भी किया गया। वहां दिव्या के पड़ोसी ने भी बताया कि उसकी पिटाई भी की जाती है। पहली जनवरी 2013 को प्रातः 7:00 बजे के लगभग आद र्ा नगर से फोन पर अमर ने सूचना दी कि रात में दिव्या मर गई है और परिवार वाले तेजी से उसकी अन्त्येश्टि की व्यवस्था कर रहे हैं। संजय अपने पिता व चाचा श्री सुनील के साथ तुरन्त ही आर्द ा नगर के लिए चल पड़ा। जब इन लोगों ने वहां दिव्या के ससुराल वालो से उसके निधन के बारे में पूछा तो उन लोगों न बताया कि रात में ह्दय गति रूक जाने से निधन हो गया। दिव्या का भारीर वरामदे में पड़ा हुआ था। मुख से रक्त निकलने के चिन्ह थे व गले पर रस्सी से दवाब के नि ाान थे। संजय ने तुरन्त ही 1 जनबरी 2013 को 9:00 बजे प्रातः थाना–सिविल लाइन में प्रथम सूचना दर्ज करायी। तुरन्त ही विवेचना अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। विवेचना अधिकारी श्री अ ाोक कुमार उपनिरीक्षक ने मृतका के भाव की मृत्यु समीक्षा की और भाव को मृत्योपरांत परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। योगे ा राज व उसके पिता को बंदी बनाया गया। बाद में 25 जनवरी 2013 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मामले में न्यायालय के समक्ष अभियोजन व बचाव पक्ष के तरफ से तर्क प्रस्तुत कीजिए।

प्रोपोजिशन – 3

सुखराम उम्र 40 वर्श राश्ट्रीय खनिज विकास निगम में सहायक के रूप में नियोजित था। उस समय उसकी मासिक मजदूरी 4000 रूपये थी। 19 जुलाई 2012 को नियोजक द्वारा दिये गये वाहन में द्वितीय पाली में लगभग 1:35 बजे अपरान्ह से काम कर रहा था। उस समय उसे किसी दर्द या तनाव की ि ाकायत नहीं थी। बाद में उसे लगभग 2:00 बजे 150 फिट की उचाँई पर वाहक पर कार्य करने को कहा गया। 4:00 बजे के लगभग घोशण की गई कि सुखराम वहां से जमीन पर गिर पड़ा है। जिसे वहां के एक कर्मकार श्री राम द्वारा देखा गया। वह मृतक घोशित किया गया। मृत्यापरांत परीक्षण से पाया कि ह्दय गति रूक जाने के कारण उसका निधन हुआ था। उसकी विधवा सुनीता ने कर्मकार प्रतिकार आयुक्त के समझ रू0 4,00,000 नियोक्ता को 10 अगस्त 2012 को दिया गया।

निगम का तर्क था कि मृतक ह्दय रोग का पुराना मरीज था। इस कारण से ह्दय गति रूक जाने से उसका निधन हो गया। उस दिन मृतक स्वयं को सामान्य नहीं अनुभव कर रहा था। इसलिए उस दिन काम प्रारम्भ ही नहीं किया। उसे चिकित्सकीय सहायता के लिए चिकित्सालय लगभग 3:45 बजे भेज दिया गया था। जहाँ उसका निधन हो गया । उसकी मृत्यु स्वभाविक थी। निगम द्वारा उस दिन उसे कोई काम ही नहीं सौपा गया।

कर्मकार प्रतिकार आयुक्त के समझ दावाकर्ती व निगम के तर्क को प्रस्तुत कीजिए।

Propostition- 1

.

The plantiff (Ram Swaroop) aged 51 yrs S/0 Sri Mathura Prasad R/O Village Rasoolpur Parganah & Tahsil Distt. Budaun filed a suit on 17-5-2004 for relief of specific performance against the defendant no. 1 Smt. Raj Vati aged 30 yrs. W/o Nani Ram R/O Vill. Upraila Parganah Tahsil & Distt. Budaun who has agreed by a registered agreement on 25-09-2002 to sell ½ of the plot no. 228 area 0.537 hectare situated in the village Rasoolpur (aforesaid) for Rs. 40,000 . The defendant no. 1 has received Rs. 10,000 in advance at the time of this agreement and she has agreed to execute the sale deed in favour of plantiff within three months after the disposal of pending disputes again courts againt her. It is important to note that a revision no 374/2002 was pending against her in the court addl. Commissioner Bareilly under sec. 17 U.P .Land Revenue Act. Which was decided on 17.5.2003 (Balak Ram v/s Rajvati). After that Balak Ram filed a suit No. 50/2003 against her under section 229B of U.P. Z.A. & L. R . Act which was dismissed on 18-03-2004 . It came to the Knowledge of the plantiff that defendant no. 1 has executed the sale deed of aforesaid plot for Rs. 46,000 on 31-07-2003 /15-10-2003 in fovour defendant no. 2 i.e Smt. Janaki Devi aged 56 yrs. W/o Ganga Sehai R/o Rasoolpur Paraganah, Tahsil Distt. Budaun.

The planiff has requested many times to the defendant no. 1 for execution of sale deed and a written request was also made by him to her on 12-01-2004.

The Defendant no.1 in her written statement on 15-2-2005. Admits the execution of an agriment to sell with plantiff but see alleged that despit her numerous requests to the plantiff for execution of sale deed, he was not willing and ready for it. The plantiff wanted to take the plot without paying remaning amount. She denied that she has executed andy sale deed in favour of defendant on. 2. She claimed that she has still title over the plot. The written statement filed by the defendant no. 2 states that she had no knowledge of the previous transaction of the plantiff & defendant no.1 and the defendant no. 1 has executed the sale deed in her favour bonafidely for Rs. 46,000.

Argue the case before the court.

Propostition- 2

Divya was the daughter of Sri Pyare Mohan who is the resident of Mohalla Raj Nagar, Budaun. She was married in 2008 with Sri Yogesh raj Resident of Mohalla Adarsh Nagar on this occasion her father presented to the bride and bride groom many valuable items of about five lakh rupees. However, after sometime, her in-laws told her to make demand of a Maruti car from her father. When she told that her father was not in such economic position to gift the car, they began to misbehave with her and day by day their cruelty with her increased. Many times, her brother Sanjay came there and requested her in laws to send her parental house for few days. They refused and told firstly to send Maruti Car and then talk about Vidai. Once Sanjay went there with his friend Amar, resident of the same Mohalla, same statement was repeated there and they misbehaved and abused with Sanjay. Neighbors of her In-laws told to Sanjay about cruelty and inhuman behavior with Dibya. She was beaten merciless by her husband and in laws On the 1st Jan. of 2013, at the moring about 7:00a.m. Amar from Adarsh Nagar informed to Sanjay on phone that Dibya has died in the night and they are making arrangement for the immediate funeral of her body. Sanjay with his father and uncle Mr. Sunil went immediately to Adarsh Nagar he saw the dead body of Divya lying in the verandah of the house. When they enquired about her death, her in laws told that she has died because of cardiac arrest, They saw blood stain on mouth of the deceased and sign of strangulation. Sanjay immediately lodged the F.I.R at Civil Lines Police Station at 9:00 am of 1st January,2013. Investigating Officer went on the place of occurrence and made investigation and sent dead body to hospital for Post Mortem. Yogesh Raj and his father were arrested. Later on charge sheet was filed before the court. On 25th Feb. 2013

Argue the case before the court on behalf of prosecution and defence.

Propostition-3

Sukh Ram aged 40 yrs. Was in employment of National Mineral Development Corporation as a helper. He was receiving wages Rs. 4000 per Mohth. On 19.07. 2012 he was working in the second shift from about 1:35 p.m. in the vehicle provided by the employer. At that he did not complain about any pain or stress. Subsequently about 2:00 p.m. he was required to work on conveyer at the height of 150 feet above. At about 4:00 p.m. it was announced that Sukh Ram had fallen down which was seen by Sri Ram who was a workman there. He was declared dead. His Post mortem Examination revealed that he suffered a cardio-respiratory arrest. His widow Sunita claimed the compensation of Rs. 4,00,000/- before the Workmen's Compensation Commissioner on 20 October 2012. It was the contention of the corporation that the cardio-respiratory arrest of the deceased was on account of the fact that the deceased was an old patient of heart ailment. On that day deceased was feeling uneasy. He did not join duty. He was sent for medical help at 3:45 p.m. Where he died in the hospital. He died due to natural causes and not on account of any work allotted to him by the corporation. Notice of accident was served on employer on 10th Aug. 2012.

Argue the case before the workmen's Compensation Commissioner on behalf of claimant and the corporation.